तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अजन्ता देवी बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/33	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(1)(64) आरटीई/प्रथम अपील/05886/2024/42 दिनांक 06.02.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 11.12.2024 इस कार्यालय में दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय की सतंकता शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई कुल 42 पृष्ठ की सूचना की प्रमाणित प्रतियॉ इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 735 दिनांक 31.12.2024 के माध्यम से आवेदक श्रीमती अजन्ता देवी को भिजवाई जा चुकी है। अत अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में कार्यालय के पत्रांक 735 दिनांक 31.12.2024 द्वारा अपीलार्थी/आवेदक श्रीमती अजन्ता देवी को कुल 42 पृष्ठ की सूचना की प्रमाणित प्रतियॉ भिजवाई जा चुकी है। अगर प्रार्थी अन्य कोई सूचना चाहता है तो वह पृथक से आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	